झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्,
आयुष निदेशालय भवन,
नामकुम, राँची–834010

<u>प्रेस–विज्ञप्ति</u>

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी.फार्मा. (आयुर्वेद) में शैक्षणिक सत्र 2025–27 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने से संबंधित

शुद्धी

P.R.No – 364434

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी. फार्मा. (आयुर्वेद) शैक्षणिक–सत्र 2025–27 के लिए नामांकन हेतु विज्ञापन सं0– 02/2025 दिनांक–17.10.2025 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 नवम्बर 2025 था, अपरिहार्य कारणवश आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 16 जनवरी 2026 तक विस्तारित की गई है। P.R.No – 364434 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

शेष सभी शर्त्तें यथावत् रहेगी।

आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि– 16 जनवरी 2026

K Singh
16.12.25

(डा0 वकील कुमार सिंह)
निबंधक –सह– सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय नामांकन समिति
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,

झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, नामकुम राँची–834010

पत्रांक– 303

प्रेषक,

निबंधक

झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्

सह–सदस्य–सचिव,

राज्य स्तरीय नामांकन समिति,राँची।

सेवा में,

निदेशक

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

राँची, झारखण्ड

राँची, दिनांक–............

विषयः–राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में सत्र 2025–2027 में डी. फार्मा. (आयुर्वेद) कोर्स में नामांकन हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं0– 02/2025 दिनांक 17.10.2025 में आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में सत्र 2025–27 डी.फार्मा. (आयुर्वेद) कोर्स में नामांकन संबंधी आवश्यक सूचना, प्रेस विज्ञप्ति सं0– 02/2025 दिनांक 17.10.2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

अपरिहार्य कारणवश उपर्युक्त प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 29.11.2025 निर्धारित की गई थी। आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को दिनांक 16.01.2026 तक विस्तारित किया गया है। इस आशय की सूचना का प्रारूप इस पत्र के साथ प्रकाशनार्थ संलग्न है।

कृपया इस संशोधित विज्ञापन को राज्य के लोकप्रिय दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने के साथ ही झारखण्ड सरकार के वेबसाइट **"www.jharkhand.gov.in"** के **Department of Health, Medical Education & Family Welfare** के पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा करना चाहेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि Hard copy एवं Soft Copy (Pen Drive) में समानता है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

K Singh
16.12.25

(डा0 वकील कुमार सिंह)

निबंधक

झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, राँची

–सह–

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय नामांकन समिति।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, नामकुम, रांची –834010

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी.फार्मा. (आयुर्वेद) में शैक्षणिक–सत्र 2025–27 में नामांकन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाने से संबंधित सूचना

विज्ञापन संख्या– 02/2025 रॉंची, दिनांक–17.10.2025

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉंची की अधिसूचना संख्या–20/आयुष (स्था0)–08/2016/354(20) दिनांकः 18.09.2019 के आलोक में राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में डी.फार्मा. (आयुर्वेद) शैक्षणिक सत्र 2025–27 के लिए नामांकन हेतु I.Sc./10+2 (विज्ञान) अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि– 16 जनवरी 2026

छात्रों की संख्या विभागीय संकल्प संख्या 29 (3) दिनांक 18.05.2002 द्वारा 30 (तीस) निर्धारित की गयी है।

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अन्य की शर्तेः–

1. प्रत्येक आवेदक को आवेदन–पत्र का विहित प्रारूप झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर अथवा झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, आर0सी0एच0 कैम्पस नामकुम रॉंची/प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज साहेबगंज/प्रत्येक जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय झारखण्ड से प्राप्त कर सकते है।
2. निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति स्व–अभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा –
   (a) योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों एवं अंक–पत्रों की छायाप्रति।
   (b) संस्था के प्रधान द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक ने अंतिम बार अध्ययन किया हो की छायाप्रति।
   (c) आयु प्रमाण–पत्र–मैट्रिक के प्रमाण–पत्र/जन्म प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   (d) जाति प्रमाण–पत्र–सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   (e) निवास प्रमाण–पत्र–सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   (f) आवेदक आवेदन–पत्र के साथ स्व–पता लिखा हुआ दो लिफाफा (25 cmX 12cm) पर 55–55 रूपये का दो डाक टिकट लिफाफ के अंदर रखते हुए आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
   (g) दो अद्यतन पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ, नाम एवं तिथि लिखा हुआ (Two passport size coloured photo with name and date mentioned) ।

3. न्यूनतम उम्र--सीमा --01 अगस्त, 2025 को कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए।

4. पात्रताः--

I. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या--5938, दिनांकः14.07.2016, संकल्प संख्याः 3854, दिनांकः 01.06.2018 एवं संकल्प संख्या--8468, दिनांकः20.11.2018, के आलोक में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण--पत्र धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होगें। स्थानीय निवासी प्रमाण--पत्र के संदर्भ में विस्तृत अनुदेश नीचे की कंडिका--6 में अंकित है।

II. प्रमाण--पत्रों के सत्यापन की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। अभिलेखों की सत्यापन की निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण--पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत प्रमाण--पत्र संलग्न नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

III. प्रमाण--पत्रों के सत्यापन के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञप्ति अनुसार शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक एतद् संबंधी प्रमाण--पत्र उनके पास उपलब्ध है।

5. आरक्षण : आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण कोटि से संबंधित आवेदन--पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण--पत्र एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांकः 9650 दिनांकः 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांकः 02.06.2016 के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांकः 5752 दिनांकः19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांकः19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण--पत्र मान्य होगा।

7. **जाति प्रमाण--पत्र**

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिलों के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण--पत्र मान्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांकः 1754 दिनांकः 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांकः 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा; परन्तु जाति प्रमाण–पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांकः 1754 दिनांकः 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांकः 1754 दिनांकः 25.02.2019 के आलोक में दिनांकः 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आय प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण–पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।

(घ) दिनांकः 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा उपर्युक्त वर्णित से भिन्न अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त वर्णित से भिन्न जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित–प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) पैतृक आधार पर निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

(झ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांकः 2358 दिनांकः 10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ञ)अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित से भिन्न जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र/स्व–घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी।

नोट –(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर में निर्गत जाति/आय प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण–पत्रों के आधार पर भर समर्पित किए गये आवेदन–पत्र नामांकन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(II)अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण–पत्र समर्पित करने की स्थिति में कंडिका–7(ख) में अंकित स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III)विवरणिका की कंडिका–6 में वर्णित स्थानीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाऐगी।

(IV)स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण–पत्र/आय प्रमाण–पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (Spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (Spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगे।

(V)आवेदक सक्षम स्तर से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही आवेदन–पत्र भरना सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण–पत्रो की मांग आवश्यकतानुसार कभी भी की जा सकती है।

(VI)विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. इण्टरमीडिएट (विज्ञान) के प्राप्तांक के आधार पर मेधा–सूची तैयार की जायेगी।
9. आवेदन फार्म भरकर भेजने का पता एवं अंतिम तिथि – भरे हुए आवेदन–पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निबंधक, झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, आर.सी.एच. कैम्पस, नामकुम, राँची – 834010 के पते पर भेजना होगा। लिफाफ के ऊपर **''डी. फार्मा. (आयुर्वेद) में नामांकन हेतु आवेदन–पत्र''** लिखना अनिवार्य होगा।
10. प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के समय मूल प्रमाण–पत्रों के साथ अभ्यर्थियों को निबंधक, झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, नामकुम, राँची –834010 में सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
11. नामांकन हेतु चयन के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में जमा करना होगा, जिसका उल्लेख नामांकन हेतु चयनित होने से संबंधित प्रेषित किए जाने वाले पत्र में रहेगा।
12. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र मान्यता प्राप्त संस्था का ही मान्य होगा।
13. आवेदक को अपना ईमेल एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
14. नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय की सूचना डाक/ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

K Singh
16.12.25

(डा. वकील कुमार सिंह)
निबंधक
झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद् राँची
–सह–
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय नामांकन समिति।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, आर.सी.एच. कैम्पस, नामकुम, राँची– 834010

D.Pharma (Ayurveda) में नामांकन हेतु

आवेदन–पत्र (Application Form) Session: 2025-27

Passport size coloured photo with name and date mentioned	

01. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :..

Applicant's Name (In English) :..

02. पिता का नाम :..

Father's Name :..

03. स्थायी पता :..

Permanent Address :..

:..

:..

:..

:..

:..

04. पत्राचार का पता :..

Correspondence Address :..

:..

:..

:..

:..

:..

05. E-Mail ID एवं मोबाईल नम्बर :..

:..

06. शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification:

योग्यता (Qualification)	बोर्ड / काउंसिल का नाम (Name of Board/Council)	उत्तीर्ण वर्ष (Passsing Year)	कुल अंक (Full Marks)	प्राप्तांक (Marks Obtained)	प्राप्तांकों का प्रतिशत % (Percentage of Obtained Marks)	उत्तीर्णता की श्रेणी (Div./CGPA)
मैट्रिक						
I.Sc/10+2 (विज्ञान)						
अन्य योग्यता						

07. जन्म तिथि / D.O.B:----------------

Age as on 1st Aug 2025 वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

08. कोटि / Category: (उचित श्रेणी में '✓' का निशान लगाएँ)

(क) सामान्य (Gen) ( ) अ०जा० (SC) ( ) अ०ज०जा० (ST) ( )

पिछड़ा (OBC) अनु०–I (Annexure-I) ( ) अनु०– II (Annexure -II) ( )

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) ( )

(ख) जाति (Caste)...............................

स्व–घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में भरी गई सूचनाएं पूर्णतः सही है। यदि किसी प्रकार की गलती भविष्य में पायी जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी एवं इसके लिए मेरा नामांकन रद्द करते हुए मेरे विरूद्ध इसके लिए विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर